पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-IV

दिनांक- 22.04.2026

मिशन शक्ति 5.0-

"सुरक्षित समाज की पहचान – सशक्त महिला, जागरूक इंसान!"

थाना आलमबाग पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत चौकी क्षेत्र चन्दर नगर में जाकर महिलाओं/बालिकाओं को साइबर सुरक्षा, मिशन शक्ति अभियान के तहत बाल एवं महिला से सम्बंधित पुलिस हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, साइबर क्राइम, यूपी कॉप के बारे में किया जागरूक ।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान एक सराहनीय कदम है जो महिला सशक्तिकरण के संदेश को देश के कोने-कोने तक पहुँचाने में मदद कर रहा है। यह न केवल महिलाओं को उनकी शक्ति का अहसास कराता है बल्कि एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान समाज के निर्माण की नींव रखता है।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

आयोजक/आयोजन स्थल

- महिला आरक्षी सावित्री थाना आलमबाग लखनऊ कमिश्रेट।
- महिला आरक्षी कोमल दिवाकर थाना आलमबाग लखनऊ कमिश्रेट।
- ग्राम चन्दर नगर थाना आलमबाग में

प्रतिभाग-

- महिला आरक्षी सावित्री थाना आलमबाग लखनऊ कमिश्रेट।
- महिला आरक्षी कोमल दिवाकर थाना आलमबाग लखनऊ कमिश्नरेट।
- चन्दर नगर थाना आलमबाग में जाकर महिलाओं को किया गया जागरूक।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत आज दिनांक 22.04.2026 को ग्राम चन्दर नगर थाना आलमबाग में जाकर महिलाओं को साइबर सुरक्षा, मिशन शक्ति अभियान के तहत बाल एवं महिला से सम्बंधित पुलिस हेल्पलाइन नंबर, साइबर हेल्पलाइन नंबर आदि की जानकारी दी गई। एवं साइबर क्राइम से बचाव और सुरक्षा के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

मिशन शक्ति के अंतर्गत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देना था।

महिलाओं को बताया गया कि कौन-कौन से आचरण एवं व्यवहार अपराध की श्रेणी में आते हैं तथा ऐसे मामलों में कानून किस प्रकार उनकी सहायता करता है।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं को महिला संबंधी अपराधों के प्रति सतर्क एवं जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के उपाय भी बताए गए। उन्हें यह भी बताया गया कि ओटीपी (OTP) या व्यक्तिगत जानकारी किसी अज्ञात व्यक्ति से साझा न करें तथा ऑनलाइन लेन-देन करते समय विशेष सावधानी बरतें।

महिलाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों — 1076, 1090, 112, 181, 1930, 102, 108 — की जानकारी दी गई ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सहायता प्राप्त कर सकें।

इसके अतिरिक्त, थाना स्तर पर संचालित महिला सुरक्षा केंद्र, महिला हेल्प डेस्क एवं मिशन शक्ति केंद्र की सेवाओं के बारे में भी विस्तार से बताया गया, जिससे महिलाएँ इन केंद्रों से परामर्श एवं त्वरित सहायता प्राप्त कर सकें।

साथ ही, उपस्थित महिलाओं एवं बच्चों को गुड टच–बैड टच, पॉक्सो एक्ट, एवं महिला उत्पीड़न से संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में भी शिक्षित किया गया।

कार्यक्रम के उद्देश्य

1. कानूनी जागरूकता

महिलाओं को उन आचरणों एवं व्यवहारों की जानकारी दी गई जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। उन्हें अपने अधिकारों एवं कानूनी सीमाओं के प्रति जागरूक किया गया ताकि वे आत्मरक्षा और न्याय की दिशा में सशक्त बन सकें।

2. साइबर सुरक्षा एवं ऑनलाइन जागरूकता

महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए। उन्हें यह समझाया गया कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, ओटीपी या बैंक संबंधी जानकारी साझा न करें, और किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड की स्थिति में तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क करें।

3. सहायता केंद्रों की जानकारी

थाना स्तर पर संचालित महिला सुरक्षा केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, एवं मिशन शक्ति केंद्र की उपलब्ध सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। महिलाओं को बताया गया कि वे इन केंद्रों से सहायता, परामर्श एवं शिकायत दर्ज करने हेतु संपर्क कर सकती हैं।

निष्कर्ष

यह कार्यक्रम महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा। इस पहल से महिलाओं में आत्मविश्वास, जागरूकता एवं समाज में अपनी भूमिका के प्रति सजगता बढ़ी।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-V

मिशन शक्ति 5.0- बढ़ चलें हैं एक साथ, मिशन शक्ति की ओर।

दिनांक- 22.04.2026

थाना हसनगंज की पिंक बूथ 60 कैलाश छात्रावास टीम द्वारा क्षेत्र में भ्रमणशील होकर महिलाओं और बच्चो को अपराध/साइबर अपराध/सी0ई0आई0आर पोर्टल/यूपी कॉप ऐप एवं सभी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर किया गया जागरुक।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

थाना हसनगंज क्षेत्र में भ्रमणशील होकर महिलाओं को मिशन शक्ति के तहत एक महत्वपूर्ण जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें राहगीर महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति सजग किया। इस दौरान महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई और साथ ही उन्हें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों तथा साइबर क्राइम से बचाव के उपायों से अवगत कराया गया। यह पहला सकारात्मक कदम है जो समाज में सुरक्षा और जागरूकता का संदेश फैला रहा है।

आयोजक/ अयोजन स्थल

- महिला का0 ज्योति सिंह, पिंक बूथ 60 थाना हसनगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला का0 तारावती, पिंक बूथ 60 थाना हसनगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- थाना हसनगंज क्षेत्र के अंतर्गत भ्रमण करके।

प्रतिभाग-

- महिला का0 ज्योति सिंह, पिंक बूथ 60 थाना हसनगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला का0 तारावती, पिंक बूथ 60 थाना हसनगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- थाना हसनगंज क्षेत्र के अंतर्गत पिंक बूथ 60 कैलाश छात्रावास ने महिलाए व बच्चों को जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक- 22.04.2026 को थाना हसनगंज क्षेत्र के अंतर्गत पिंक बूथ 60 कैलाश छात्रावास टीम द्वारा थाना हसनगंज क्षेत्र में भ्रमणशील होकर चर्च के सामने महिलाएं व बच्चों को अपराध/साइबर अपराध/सी0ई0आई0आर पोर्टल/यूपी कॉप ऐप एवं सभी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर: उन्हें आपात स्थिति और सहायता के लिए सभी जरूरी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई, जैसे: 1090: महिला पावर लाइन (Women Power Line), 112: आपातकालीन सेवाएं (Emergency Services) 108: एम्बुलेंस सेवा (Ambulance Service), 1098: चाइल्डलाइन (Childline), 1076: टोल-फ्री हेल्पलाइन आदि।

मिशन शक्ति का उद्देश्य-

- **लैंगिक समानता को बढ़ावा देना:** समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करना।
- **सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन:** बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा और लैंगिक भेदभाव जैसी कुरीतियों के खिलाफ काम करना।
- **शिक्षा और जागरूकता:** महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा पर जोर देना और उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना।
- **कानूनी सलाह और सहायता:** महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनी संरक्षण के बारे में जानकारी देना और मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराना।
- **सुरक्षा और समर्थन:** महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न की घटनाओं से निपटने के लिए मजबूत तंत्र विकसित करना और पीड़ितों को समर्थन देना।

संक्षेप में कहें तो, मिशन शक्ति का उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ हर महिला सुरक्षित, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और सम्मान के साथ जीवन जी सके तथा राष्ट्र के विकास में एक सक्रिय और समान भागीदार बन सके। यह मिशन "नारी सशक्तिकरण" के विजन को वास्तविकता में बदलने की दिशा में एक सशक्त कदम है।

यह आयोजन महिला सुरक्षा और जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। लखनऊ कमिश्नरेट द्वारा ऐसे कार्यक्रम भविष्य में भी जारी रखे जाएंगे।.

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-II

"मिशन शक्ति 5.0-शिक्षित नारी, सशक्त समाज,मिशन शक्ति का यही प्रयास"

थाना माल क्षेत्र के अंतर्गत बी0आर0 माण्टेसरी इण्टर कॉलेज रामनगर थाना माल जनपद लखनऊ में "मिशन शक्ति 5.0" अभियान, महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, कानूनी अधिकारों,सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर सिखाए आत्मरक्षा के प्रभावी तरीके।

दिनांक-22.04.2026

लखनऊ, दिनांक: 22 अक्टूबर, 2025 - पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के कुशल निर्देशन में कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु चलाए जा रहे "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के तहत थाना माल क्षेत्र में मंगलवार को एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना है।

श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ, के कुशल निर्देशन में कमिश्नरेट लखनऊ में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु व्यापक जागरूकता गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। इस क्रम में, जनपद के 54 थानों पर **मिशन शक्ति केंद्र** स्थापित किए गए हैं, जहाँ महिला संबंधित समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु समर्पित अधिकारियों (निरीक्षक, अतिरिक्त निरीक्षक, उपनिरीक्षक, महिला उपनिरीक्षक) की नियुक्ति की गई है।

आयोजन/आयोजन स्थल-

- ✓ म0उ0नि0 श्रीमती खुशबू यादव माल लखनऊ कमिश्नरेट।
- ✓ म0हे0का0 अनुराधा सिंह थाना माल लखनऊ कमिश्नरेट।
- ✓ थाना **माल क्षेत्र**, लखनऊ के अंतर्गतग बी0आर0 माण्टेसरी इण्टर कॉलेज रामनगर में मिशन शक्ति अभियान फेज-5 के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ।

आयोजक टीम-

- महिला उ0नि0 श्रीमती खुशबू यादव थाना माल कमिश्नरेट लखनऊ।
- थाना माल के अन्य महिला कर्मचारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का विस्तृत विवरण:-

थाना **माल क्षेत्र,** लखनऊ के अंतर्गत बी0आर0 माण्टेसरी इण्टर कॉलेज रामनगर में मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके **कानूनी अधिकारों, सुरक्षा उपायों, सरकारी योजनाओं** एवं **आत्मरक्षा के तरीकों** के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में बताया गया कि यूपी पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न सेवाओं को क्रियाशील किया गया है, जिनमें महिला हेल्पलाइन, स्मार्ट सिटी कैमरे, और फील्ड पुलिस पेट्रोलिंग जैसे उपाय शामिल हैं। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

उन्हें आत्मरक्षा और सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने के तरीकों पर शिक्षित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान, सुरक्षा और समानता को बढ़ावा देना

कार्यक्रम के दौरान टीम ने महिलाओं को बताया कि **उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा हेतु** कई प्रभावी सेवाएँ संचालित की जा रही हैं, जैसे:

- **1090 (महिला शक्ति हेल्पलाइन)**
- **181 (महिला हेल्पलाइन)**
- **112 (आपातकालीन सेवा)**
- **1098 (चाइल्डलाइन)**
- **1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन)**
- **UP-COP मोबाइल ऐप** का उपयोग

इसके साथ ही **स्मार्ट सिटी कैमरे**, **फील्ड पेट्रोलिंग यूनिट**, एवं **एंटी रोमियो स्क्वॉड** के कार्यों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई।

महिलाओं को यह भी बताया गया कि किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, हिंसा या साइबर अपराध की स्थिति में वे इन हेल्पलाइन सेवाओं के माध्यम से तुरंत सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

मुख्य जागरूकता बिंदु:-

1. महिलाओं को **आत्मरक्षा और आत्मनिर्भरता** के लिए प्रेरित किया गया।
2. **"गुड टच" और "बैड टच"** के माध्यम से संवेदनशील विषयों पर जागरूकता बढ़ाई गई।
3. **साइबर अपराधों से सुरक्षा** हेतु सावधानी और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया समझाई गई।
4. **बाल विवाह निषेध, महिला अधिकार एवं सरकारी योजनाओं** से संबंधित जानकारी दी गई।
5. उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं में जागरूकता हेतु **पम्फलेट और जानकारी पत्रक वितरित किए गए।**

उद्देश्य एवं महत्व-

मिशन शक्ति 5.0 अभियान न केवल महिलाओं को उनकी शक्ति का अहसास करा रहा है, बल्कि एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान समाज के निर्माण की नींव रख रहा है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-III

दिनांक- 22.04.2026

मिशन शक्ति 5.0-"सतर्कता हमारी, सुरक्षा तुम्हारी, मिशन शक्ति है यह हम सबकी जिम्मेदारी!"

थाना पीजीआई की पिंक बूथ 36 की टीम द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के तहत पीजीआई कैम्पस के आस-पास महिलाओं और बच्चों को साइबर अपराध, महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्प डेस्क और पिंक बूथ के बारे में विस्तार से जानकारी देकर किया जागरूक।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही बहुप्रशंसित योजना **"मिशन शक्ति 5.0"** के तहत लखनऊ कमिश्नरेट के थाना पीजीआई क्षेत्रान्तर्गत पिंक बूथ 36 की टीम द्वारा पीजीआई कैम्पस में विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। जिसमें महिला और बच्चों को महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को **सुरक्षा, अधिकारों एवं सरकारी सहायता, सेवाओं** के प्रति जागरूक करना था।

मिशन शक्ति, उत्तर प्रदेश पुलिस की एक प्रमुख पहल, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसकी नवीनतम कड़ी, मिशन शक्ति 5.0, के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में व्यापक स्तर पर जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में, थाना पीजीआई क्षेत्रान्तर्गत पीजीआई कैम्पस में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

आयोजक/आयोजक स्थान -

- महिला मुख्य आरक्षी पूजा सिंह, पिंक बूथ 36, थाना पीजीआई, कमिश्नरेट लखनऊ
- महिला आरक्षी प्रेमा प्रजापति, पिंक बूथ 36, थाना पीजीआई, कमिश्नरेट लखनऊ
- थाना पीजीआई क्षेत्रान्तर्गत पीजीआई कैम्पस में

प्रतिभागी: -

- महिला मुख्य आरक्षी पूजा सिंह, पिंक बूथ 36, थाना पीजीआई, कमिश्नरेट लखनऊ
- महिला आरक्षी प्रेमा प्रजापति, पिंक बूथ 36, थाना पीजीआई, कमिश्नरेट लखनऊ
- थाना पीजीआई क्षेत्रान्तर्गत पीजीआई कैम्पस के आस-पास महिलाएं व बच्चे।

कार्यक्रम का विस्तृत विवरण:

दिनांक 22.04.2026 को मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत लखनऊ कमिश्नरेट के थाना पीजीआई की पिंक बूथ 36 की टीम द्वारा पीजीआई कैम्पस के आस-पास महिला सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत महिलाओं और बच्चों को महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर व्यापक जानकारी प्रदान की गई।

महिलाओं को अपने साथ हो रहे अपराधों व अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई साथ ही साथ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे 1090 (महिला पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 1098 (चाइल्डलाइन), 1076 (टोल-फ्री सिटीजन कॉल सेंटर), 101 (अग्निशमन), 102 (एम्बुलेंस), 108 (आपातकालीन सेवा), 112 (ईआरएसएस) और 1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन) के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके अलावा, उन्हें यूपी- (यूपी कॉप) एवं आदि नंबरों के बारे में जानकारी दी गयी।

बच्चो को गुड टच एवं बैड टच के बारे में विस्तार से दी गयी जानकारी के साथ- साथ महिला सुरक्षा केंद्र/ मिशन शक्ति केंद्र व साइबर अपराधों के बारे में की जानकारी दी गई तथा हेल्प लाइन नंबरों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई और साइबर फ्रॉड से बचने की जानकारी दी गई।

इसके अतिरिक्त, थाना पीजीआई में संचालित महिला सुरक्षा केंद्र और महिला हेल्प डेस्क की भूमिका और कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की गई। साथ ही, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया गया, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। कार्यक्रम के अंत में सभी महत्वपूर्ण जानकारियों से युक्त पम्पलेट का वितरण भी किया गया, जिससे स्थानीय महिलाओं को इन सेवाओं की जानकारी स्थायी रूप से संदर्भ हेतु उपलब्ध रहे।

साइबर जागरूकता के तहत विषय:

- **सुरक्षित इंटरनेट उपयोग:** सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग आदि में सतर्कता बरतने के तरीके।
- **साइबर बुलिंग और उत्पीड़न:** इनकी पहचान कैसे करें और इससे कैसे निपटें।
- **डेटा गोपनीयता:** व्यक्तिगत जानकारी और फोटो ऑनलाइन साझा करते समय सावधानी।
- **साइबर ठगी:** ऑनलाइन धोखाधड़ी, फ़िशिंग आदि से बचाव के उपाय।
- **डिजिटल फुटप्रिंट:** इंटरनेट पर अपनी गतिविधियों का दीर्घकालिक प्रभाव।

आधुनिक डिजिटल युग में बढ़ते खतरों को देखते हुए, इस कार्यक्रम में साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। छात्राओं को साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन उत्पीड़न और सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचने के उपाय सिखाए गए। साथ ही, साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल सहायता के लिए **राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930** के बारे में विस्तार से बताया गया और जागरूकता पंपलेट वितरित किए गए।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-I

मिशन शक्ति- हर बेटी सशक्त, हर नारी सुरक्षित।

महिला थाना द्वितीय पुलिस टीम द्वारा बख्शी का तालाब इंटर कालेज क्षेत्र में बच्चो को "गुड टच" और "बैड टच" के साथ विभिन्न हेल्पलाइन नंबर एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा साइबर अपराध पर किया जागरूक।

दिनांक- 22.04.2026

लखनऊ, श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ, श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के कुशल निर्देशन में *मिशन शक्ति 5.0* अभियान के तहत कमिश्नरेट लखनऊ में महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण से संबंधित विविध जागरूकता कार्यक्रम निरंतर संचालित किए जा रहे हैं।

मिशन शक्ति के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

आयोजक/आयोजन स्थल-

- महिला आरक्षी सरिता पटेल, महिला थाना द्वितीय लखनऊ कमिश्नरेट।
- महिला आरक्षी सलमा बानो, महिला थाना द्वितीय लखनऊ कमिश्नरेट ।
- स्थान: बख्शी का तालाब इंटर कॉलेज बीकेटी

प्रतिभाग

- महिला आरक्षी सरिता पटेल, महिला थाना द्वितीय लखनऊ कमिश्नरेट।
- महिला आरक्षी सलमा बानो, महिला थाना द्वितीय लखनऊ कमिश्नरेट
- स्थान: बख्शी का तालाब इंटर कॉलेज बीकेटी में बच्चों को जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 22.04.2026 को बख्शी का तालाब इंटर कॉलेज बीकेटी में मिशन शक्ति के तहत स्कूली बच्चो को जागरूक किया गया उन्हें विभिन्न हेल्पलाइन नंबर आदि के विषय में बताया गया सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी योजना के विषय में जानकारी के संबंध में जागरूक किया गया।

इस कार्यक्रम में छात्राओं एवं अध्यापकगण को महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों, उनके अधिकारों तथा महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर 1090 (महिला पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 112 (ईआरएसएस), 1930 (साइबर क्राइम) आदि—से अवगत कराया गया। इसके अलावा, महिला हेल्प डेस्क एवं मिशन शक्ति केंद्रों के कार्यों के बारे में भी विस्तार से समझाया गया।

इसके अतिरिक्त छात्राओं को **“गुड टच” और “बैड टच”** के बीच अंतर समझाया गया छात्राओं को जागरूक किया गया कि किसी अनजान व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु, मिठाई या किसी बहाने से बुलाने पर विश्वास न करें और तुरंत इस जानकारी को परिवार या पुलिस के साथ साझा करें।

कार्यक्रम का उद्देश्य: कार्यक्रम का उद्देश्य एवं महत्व:

यह कार्यक्रम छात्राओं को पुलिस व्यवस्था के प्रति विश्वास जगाने और उन्हें सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों से लैस करने की दिशा में एक सार्थक पहल था। महिला थाना द्वितीय की इस पहल से न केवल छात्राओं को जागरूक किया गया, बल्कि पुलिस-जनता के बीच की दूरी को कम करने में भी मदद मिली।

छात्राओं ने न केवल पुलिस व्यवस्था की कार्यशैली को जाना बल्कि यह भी सीखा कि पुलिस नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है।

निष्कर्ष:

जागरूकता में वृद्धि: इस सत्र ने बच्चों को गुड टच और बैड टच की महत्वपूर्ण समझ प्रदान की, जो उन्हें सुरक्षित रहने और अनुचित व्यवहार की पहचान करने में सक्षम बनाएगी।

- **भावनात्मक रूप से सुरक्षित माहौल:** बच्चों द्वारा अपने सपने साझा करना इस बात का संकेत है कि कक्षा का माहौल भरोसेमंद और सुरक्षित था। इससे बच्चों के आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति की क्षमता का पता चलता है।
- **सकारात्मक सहभागिता:** बच्चों की सक्रिय भागीदारी ने दर्शाया कि वे इस विषय को समझने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उत्सुक थे।
- **भविष्य के लिए आधार:** यह सत्र बच्चों के व्यक्तिगत सुरक्षा ज्ञान का एक मजबूत आधार तैयार करेगा। साथ ही, स्कूल द्वारा इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना एक प्रशंसनीय कदम है।

संक्षेप में, यह गतिविधि न केवल शैक्षिक थी बल्कि इसने बच्चों को भावनात्मक रूप से सशक्त भी किया, जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति सं0-657
दिनांक-22.04.2026

लखनऊ के अन्तर्गत थाना- पीजीआई, बंथरा, मोहनलालगंज के मनबढ़ एवं दबंग व्यक्तियों को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत गुण्डा घोषित करते हुए लखनऊ की सीमा से किया गया निष्कासित (जिला बदर/ थाना हाजिरी)-

संक्षिप्त विवरण-

न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), लखनऊ में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु निम्नलिखित विपक्षीगण के विरुद्ध न्यायालय में उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0-1970 की धारा-03 के तहत गुण्डा घोषित किया गया है।

मा0 न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त (का0 एवं व्य0) कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा आज दिनांक-22.04.2026 को जिलाबदर किये गये व्यक्तियों का विवरण-

क्र. सं.	धारा	थाना	विपक्षी का नाम	गुण्डा घोषित की अवधि
1	03 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970	पीजीआई	राजेन्द्र प्रसाद उम्र करीब 41 वर्ष पुत्र उमाशंकर प्रसाद निवासी 5ई4/122 वृन्दावन योजना रायबरेली रोड, थाना पी0जी0आई0, लखनऊ	06 माह
2	03 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970	पीजीआई	रुकमणी राय उम्र करीब 39 वर्ष पत्नी राजेन्द्र प्रसाद निवासिनी 5ई4/122 वृन्दावन योजना रायबरेली रोड, थाना पी0जी0आई0, लखनऊ	06 माह
3	03 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970	बंथरा	अमित रावत उर्फ राजा उम्र-23 वर्ष पुत्र संजय रावत निवासी ग्राम नानमऊ, थाना बंथरा, लखनऊ	06 माह
4.	03 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970	मोहनलालगंज	रामखिलावन उर्फ रामखेलावन उम्र करीब 48 वर्ष पुत्र देवकरन निवासी ग्राम कल्लीपूरब टिकरा थाना मोहनलालगंज लखनऊ	03 माह थाना हाजिरी

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-655
दिनांक-22.04.2026

जोन-मध्य/ थाना-महानगर

- **वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01.संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 21.04.2026 को थाना महानगर पर वादिनी द्वारा प्रस्तुत तहरीर बावत अभियुक्त द्वारा नाबालिग लडकी के साथ लैगिंक शोषण करने के सम्बन्ध में प्राप्त होने के उपरान्त तत्काल थाना महानगर पर दिनांक 21.04.2026 को मु0अ0सं0- 69/2026 अन्तर्गत धारा 65(2)/137(2)/351(2) बीएनएस एवं धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

दौराने विवेचना अभियुक्त को थाना महानगर की पुलिस टीम द्वारा दिनांक 22.04.2026 को अभियुक्त छेदी लाल पुत्र कन्हईया मकान नं0- 09 नगर निगम फ्लैट कार्पोरेशन अकबरनगर बंधा सचिवालय कालोनी थाना महानगर लखनऊ उम्र करीब 56 वर्ष को सौमित्र वन के पास अकबरनगर बंधा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त छेदी लाल उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

02-अपराध का तरीका-

अभियुक्त द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री को अपनी स्कूटी पर बहला फुसलाकर तिकोनिया पार्क के पीछे वाली गली में मड़ईयां(कपड़े प्रेस करने की दुकान) जो सुनसान थी में ले गया तथा शराब के नशे में वादिनी के पुत्री के साथ गलत नियत से उसके प्राइवेट अंगो के साथ छेड़छाड़ किये व उसे धमकाया।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.छेदी लाल पुत्र कन्हईया मकान नं0- 09 नगर निगम फ्लैट कार्पोरेशन अकबरनगर बंधा सचिवालय कालोनी थाना महानगर लखनऊ उम्र करीब 56 वर्ष

04- अनावरित अभियोग-

1.मु0अ0सं0- 69/2026 धारा 65(2)/137(2)/351(2) बीएनएस एवं धारा 5/6 पास्को एक्ट थाना महानगर लखनऊ

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. अति0 नि0 प्रदीप सिंह थाना थाना महानगर कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ0नि0 अनुराग कुमार सिंह थाना महानगर कमिश्नरेट लखनऊ
3. उ0नि0 कुलदीप कुमार यादव थाना महानगर कमिश्नरेट लखनऊ
4. का0 विशाल सिंह थाना महानगर कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-659
दिनांक-22.04.2026

जोन-पश्चिमी/थाना-चौक

- **थाना चौक पुलिस टीम द्वारा मणप्पुरम ज्वैलर्स लिमिटेड कम्पनी के 18.53 कि0ग्रा0 सोने के आभूषण गबन करने वाले कर्मचारी/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के द्वारा अपराधियों पर सतर्क दृष्टि रखने एवं पूर्व में घटित घटनाओं का अनावरण किये जाने व वाँछित-वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु दिये गये आदेशो-निर्देशों के अनुपालन में श्री कमलेश दीक्षित पुलिस उपायुक्त (प0) व श्री धनंजय सिंह कुशवाहा अपर पुलिस उपायुक्त (प0) के निर्देशन में श्री राजकुमार सिंह सहायक पुलिस आयुक्त चौक के पर्यवेक्षण में श्री नागेश उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक चौक के नेतृत्व में चौक पुलिस द्वारा अभियुक्त कमल सिंह पुत्र महेश प्रकाश सिंह निवासी 442/21/2 जनरेलगंज बालागंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र 42 वर्ष को दिनांक 21.04.26 को समय 18.15 बजे प्रेरणा स्थल से रिंग रोड की ओर जाने वाली सड़क पर ,थाना ठाकुरगंज लखनऊ से साथ गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

02-घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 12.12.2024 को आवेदक उमेश कुमार, जनरल मैनेजर मणप्पुरम ज्वैलर्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोम्मासंद्रा, बैंगलोर कर्नाटक 560099 द्वारा तहरीर बावत नामित अभियुक्त द्वारा खुदरा विक्रेताओं और थोक विक्रेताओ के साथ मिलीभगत करके हेराफेरी और धोखाधड़ी कर 22 कैरेट शुद्धता वाले 18531.1 ग्राम सोने के आभूषण हड़प लेने के सम्बन्ध मे प्राप्त हुआ।

प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 255/2024 धारा 316(5)/318(4)/61(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। मुकदमा उपरोक्त की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुकदमें धारा 338/339/340 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी है। अभियुक्त कमल सिंह पुत्र महेश प्रकाश सिंह निवासी 442/21/2 जनरेलगंज बालागंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र 42 वर्ष को दिनांक 21.04.26 को समय 18.15 बजे प्रेरणा स्थल से रिंग रोड की ओर जाने वाली सड़क पर ,थाना ठाकुरगंज लखनऊ से नियमानुसार गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. कमल सिंह पुत्र महेश प्रकाश सिंह निवासी 442/21/2 जनरेलगंज बालागंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र 42 वर्ष

04-अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 255/2024 धारा 316(5)/318(2)/61(2)/338/339/340 बीएनएस थाना चौक लखनऊ

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नागेश उपाध्याय थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ0नि0 श्री जयकृष्ण द्विवेदी , थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ
3. का0 अजीत कुमार, थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-658
दिनांक-22.04.2026

जोन- पश्चिमी/ थाना-अमीनाबाद

- **थाना अमीनाबाद पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से चोरी किये गये 10,210 /- रूपये नगद बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 21.04.2026 को समय लगभग 06.00 बजे शाम को अमीनाबाद क्षेत्रान्तर्गत प्रताप मार्केट में स्थित कपड़े की दुकान पर वादिनी मुकदमा श्रीमती नेहा दूबे पत्नी श्री ज्ञानेन्द्र दूबे निवासिनी -3/505 विशाल खण्ड गोमतीनगर लखनऊ खरीददारी करने आयी उसी दौरान एक अज्ञात महिला द्वारा वादिनी मुकदमा का पर्स चोरी कर लिया जिसमें वादिनी के लगभग 10,000/- नकद थे जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 27/2026 धारा- 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कराकर विवेचनात्मक कार्यवाही हेतु उ0नि0 श्री माधव शर्मा को दिया गया।

तत्पश्चात उ0नि0 श्री माधव शर्मा द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम की मदद से संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी दबिश के दौरान मुखबिर की सूचना पर प्रकाश में आयी अभियुक्ता नाजमीन पत्नी मोहम्मद नईम म0न0-1360 गली मदरसा शाह अब्दुल अजिज कला महल दरियागंज मध्य दिल्ली उम्र करीब 39 वर्ष हाल पता- छाछर वाली गली, पाटानाला थाना चौक लखनऊ को आज दिनांक 22.04.2026 को जनाना पार्क अमीनाबाद से पुलिस टीम की मदद से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गये रुपये लगभग 10210 /- की बरामदगी के साथ मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) की बढोत्तरी करते हुये अभियुक्ता उपरोक्त को हिरासत पुलिस में लेकर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-पुछताछ का विवरण-

अभियुक्ता नाजमीन पत्नी मोहम्मद उपरोक्त द्वारा बताया कि दिनांक 21.04.26 की शाम को अमीनाबाद मे खरीददारी के लिय़े आयी थी मुझे कुछ रुपयों की जरुरत थी तभी प्रताप मार्केट में कपड़े की दुकान पर मौका पाकर एक महिला के बेग से सफेद रंग का पर्स निकाल लिया था।

03-गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण—

1-नाजमीन पत्नी मोहम्मद नईम म0न0-1360 गली मदरसा शाह अब्दुल अजिज कला महल दरियागंज मध्य दिल्ली उम्र करीब 39 वर्ष हाल पता- छाछर वाली गली, पाटानाला थाना चौक लखनऊ

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग:-

01-मु0अ0सं0- 27/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना अमीनाबाद लखनऊ

05-बरामदगी:-

- चोरी के (10210/- रुपये नगद)

07- अभियुक्ता को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण—

1. उ0नि0 श्री माधव शर्मा थाना अमीनाबाद कमिश्नरेट लखनऊ
2. म0उ0नि0 शुचि सावंत थाना अमीनाबाद कमिश्नरेट लखनऊ
3. म0का0 आशा यादव थाना अमीनाबाद कमिश्नरेट लखनऊ
4. म0का0 शिबु कुमारी थाना अमीनाबाद कमिश्नरेट लखनऊ